शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र/राशिके/आईईडी/2011–12/383 भोपाल, दिनांक 12.1.12

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक,
जिला शिक्षा केन्द्र,
समस्त जिले (म.प्र.)
(जिला –अलीराजपुर,रतलाम,झाबुआ को छोड़कर)

विषयः– सर्वशिक्षा अभियान समावेशित शिक्षा अंतर्गत **CWSN (Total Blind)** बच्चों के शिक्षकों हेतु 10 दिवसीय ब्रेल प्रशिक्षण आयोजित कराने बावत।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्र/राशिके/आईईडी/2011/3420, भोपाल दिनांक 26.5.2011

विषयातर्गत सर्व शिक्षा अभियान समावेशित शिक्षा अंतर्गत CWSN (Total Blind) बच्चों के शिक्षकों हेतु प्रति जिला 10 शिक्षकों के मान से जिला स्तर पर 10 दिवसीय ब्रेल प्रशिक्षण निर्धारित एवं संलग्न नार्म्स के अनुसार आयोजित किया जाना है ।

अतः संदर्भित पत्र की गतिविधि क 8 के अनुसार जिले में SSA-IED मद में उपलब्ध राशि को संबंधित स्वयं सेवी संस्था अथवा डाइट/डीआरसी को उपलब्ध करवाकर व्यय आईईडी मद में बुक करें। जिलेवार प्रशिक्षण दिनांक 7.12.11को राज्य शिक्षा केन्द्र में आयोजित समीक्षा बैठक में स्वयं सेवी संस्था प्रतिनिधि से प्राप्त सहमति के आधार पर निम्नानुसार आयोजित किया जाना है –

क.	जिले की आईईडी गतिविधियों हेतु चयनित स्वयं सेवी संस्था द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने वाले जिलों के नाम	जिले की डाइट/डीआरसी अथवा मदर डाइट द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने वाले जिलों के नाम
1	श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, शाजापुर, उज्जैन, धार, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, सागर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, सीधी एवं सिंगरौली (कुल–29 जिले)।	भिण्ड, ग्वालियर, गुना, देवास, मन्दसौर, नीमच, इन्दौर, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, विदिशा, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा ,अनूपपुर (मदर डाइट शहडोल द्वारा) एवं सतना (कुल–18 जिले)।

प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जाए –

1. यह सुनिश्चित कर लें इस प्रशिक्षण के कारण किसी भी स्थिति में शाला बंद ना हों तथा प्रतिभा पर्व के द्वितीय चरण के मूल्यांकन में कोई बाधा भी उत्पन्न ना हो । परंतु यह प्रशिक्षण 15 फरवरी 2012 की अवधि तक अनिवार्यतः संपन्न हो जाए।
2. प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों के चयन तथा उपस्थिति की जिम्मेदारी संबंधित स्वयं सेवी संस्था और जिला परियोजना समन्वयक/प्राचार्य डाइट या डीआरसी की संयुक्त रूप से होगी । प्रशिक्षण सुविधानुसार जिले की डाइट/डीआरसी में आयोजित किया जा सकता है।
3. ब्रेल प्रशिक्षण को दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न शासकीय संस्थाओं एवं सक्षम स्वयं सेवी संस्थाओं में कार्यरत तथा ब्रेललिपि से अध्ययन/अध्यापन में दक्ष व्यक्तियों के अतिरिक्त जिले के पूर्व में ब्रेल प्रशिक्षित शिक्षकों का सहयोग लिया जा सकता है ।
4. ब्रेल प्रशिक्षण के सहभागी शिक्षकों को हिन्दी, अंग्रेजी ब्रेल पठन एवं लेखन के अभ्यास एवं उनमें आधार भूत गणितीय संक्रियाओं के समझ विकसित करने तथा Hands on experience देने हेतु ब्रेल सामग्री –ब्रेल स्लेट, स्टाइलस, ब्रेल शीट, ट्रेलर फ्रेम एवं एबाकस की आवश्यकता होगी। अतः ट्रेनिंग किट की राशि से सामग्री क्रय कर उसकी प्रविष्टि संबंधित जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र अथवा डाइट/डीआरसी के स्टॉक रजिस्टर में कराने के बाद सहभागियों को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाय तथा इसका रिकॉर्ड संधारित किया जाए ।

5. ब्रेल प्रशिक्षण में प्री टेस्ट/पोस्ट टेस्ट के अतिरिक्त ब्रेल का सामान्य परिचय, हिन्दी एवं अंग्रेजी ब्रेल पठन–लेखन तथा गणित ब्रेल पठन–लेखन, एबाकस एवं ट्रेलर फ्रेम के माध्यम से जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग की गणितीय संक्रियाओं का अभ्यास आदि अनिवार्य रूप से कराया जाए ताकि सहभागी शिक्षक प्रशिक्षण उपरांत अर्जित ज्ञान एवं कौशल का उपयोग शालाओं में अध्ययनरत CWSN के हित में कर सकें।
6. प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों को भोजन एवं आवास (नगद अथवा भोजन एवं आवास व्यवस्था) के रूप में प्रशिक्षण आयोजित करने वाली स्वयं सेवी संस्था अथवा डाइट/डीआरसी द्वारा की जानी है। अतः तदनुसार सहभागी शिक्षकों का अभिलेख व्यवस्थित रूप से संधारित कराया जाए।
7. प्रशिक्षण की मानीटरिंग संबंधित डाइट/डीआरसी के पीजीपीडी प्रशिक्षित व्याख्याता, एपीसी समावेशित शिक्षा/एपीसी मोबलाइजेशन द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना है ताकि प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण एवं विधिवत संपन्न हो सके ।
8. उक्त ब्रेल प्रशिक्षण के आयोजन पश्चात प्रतिवेदन (फोटोग्राफ एवं समाचार पत्रों की कटिंग से) एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की हार्ड एवं साफ्ट कॉपी प्रशिक्षण आयोजित करने वाली संस्था द्वारा दो प्रतियों में तैयार कर एक प्रति जिला शिक्षा केन्द्र और एक प्रति राज्य शिक्षा केन्द्र के आईईडी कक्ष को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाए। प्रतिवेदन निम्नलिखित बिंदुओं पर बनाया जाए–प्रस्तावना, प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रशिक्षण की समय सारणी, लक्ष्य एवं उपलब्धि, प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों का विवरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम के फोटोग्राफ, समाचार पत्रों की कटिंग, मदवार व्यय राशि एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र।

संलग्न – उपरोक्तानुसार नार्म्स।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

क्र/राशिके/आईईडी/2011–12/384

भोपाल, दिनांक 12.1.12

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य डाइट/डीआरसी संबंधित जिला अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ को छोड़कर समस्त जिले म.प्र.को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. अध्यक्ष/सचिव संबंधित चयनित स्वयं सेवी संस्था जिला अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ को छोड़कर समस्त जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
3. सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट **www.sss.mp.gov.in/circulars.htm/** एवं एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल

शिक्षकों का 10 दिवसीय ब्रेल प्रशिक्षण कार्यक्रम (2011–12)
प्रति जिला 10 शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण नार्म्स

क.	मद	दर	संख्या	राशि रु.
1	स्टेशनरी	25	10	250
2	भोजन एवं आवास	100	10	10000 (100X10X10)
3	ट्रेनिंग किट	300	10	3000
4	कंटिजेंसी	1750	–	1750
5	स्रोत शिक्षक मानदेय	100	–	5000(100X5X10)
योग–				रु. **20,000/-**

उपरोक्तानुसार 10 शिक्षकों के एक बैच हेतु कुल व्यय राशि रु. 20000/–तथा TA/DA शासकीय नियमानुसार संबंधित जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा पृथक से SSA-IED मद से देय होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ.ओ.पी.शर्मा)
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल